

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	माघ 21, शुक्रवार, शाके 1944 - फरवरी 10, 2023 Magha 21, Friday, Saka 1944 - February 10, 2023	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.136.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(7)वित्त/कर/2021-54 दिनांक 30.09.2021 और अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-273 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण-पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में आबंटन आदेश के आधार पर पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	मूल आबंटन की रकम के 20 प्रतिशत पर।
2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।
टिप्पण: 1. पट्टा विलेख जारी करते समय राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी ऐसी स्थावर संपत्ति		

- के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा;
2. पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत तथा असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा;
3. उप-पंजीयक, ऐसा पट्टा विलेख तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र और मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी गयी हैं और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क और अधिभार वसूल नहीं कर लिया गया है; और
4. उपर्युक्त दरें निष्पादित लिखतों पर या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होंगी किन्तु पहले से ही संदत स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-25]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.137.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क, ब्याज और शास्ति की बकाया मांग का, कलक्टर (स्टाम्प), राजस्थान कर बोर्ड या किन्हीं अन्य न्यायालयों द्वारा विनिश्चित या के समक्ष लंबित, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट मामलों के प्रवर्ग में, स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमा तक, परिहार किया जायेगा:-

सारणी

क्र. सं.	मामलों के प्रवर्ग	शर्तें	परिहार	
			स्टाम्प शुल्क	ब्याज और शास्ति
1	2	3	4	5
1.	01.04.2003 को या	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को	60%	100%

	इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है		
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	55%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
2.	01.04.2003 के पश्चात् और 31.03.2013 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	45%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
3.	01.04.2013 को या इसके पश्चात् और 31.03.2018 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	35%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
4.	01.04.2018 को या इसके पश्चात् और 31.03.2022 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	25%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	20%	100%

- टिप्पण:** 1. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के लेखे समायोजित की जायेगी।
2. पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।
3. इस अधिसूचना के अधीन फायदे लंबित मामलों के प्रत्याहरण के लिए संबंधित कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष वचनबंध फाइल करने के अध्यक्षीन देय होंगे।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-26]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.138.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(7)वित्त/कर/2021-55 दिनांक 30.09.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी व्यक्ति, जो राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति एवं आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप-नियम (3) या नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से पट्टा विलेख प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के अपने अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन या अंतरण के प्रयोजन के लिए निष्पादित समनुदेशन विलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	यदि ऐसा विलेख राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2002 या राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 के अधीन आने वाली परियोजना के संबंध में किसी व्यक्ति या विकासकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाता है	ऐसे प्रत्येक विलेख पर पांच सौ रुपये।
2.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अधीन नहीं आने वाले किसी अन्य मामले में	पट्टा विलेख, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, पर नगरीय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उदगृहीत की जाने वाली रकम का दो प्रतिशत।

यह अधिसूचना 02.10.2021 से प्रवृत्त होगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-27]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.139.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि

लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	8. राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा आबंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)।	आबंटन या विक्रय के मद्दे प्रभारित प्रतिफल की रकम पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33 में यथा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार।	"
---	--	--	---

[प.4(2)वित्त/कर/2023-28]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.140.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान खण्ड 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5. एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।"

[प.4(2)वित्त/कर/2023-29]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.141.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3क का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3क में विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी अनुसूचित बैंक की किसी शाखा पर आहरित मांगदेय ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर द्वारा या" हटायी जायेगी।

3. नियम 34 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"34. विक्रय का रजिस्टर.- (1) प्रत्येक विक्रेता जनता को विक्रीत स्टाम्पों का एक रजिस्टर निम्नलिखित प्ररूप में रखेगा:-

स्टाम्पों के दैनिक विक्रयों का रजिस्टर

क्र. सं.	विक्रय की तारीख	स्टाम्प का विवरण (छापित, आसंजक)	विक्रीत स्टाम्पों का मूल्य (शब्दों में)	अधिभार की रकम		क्रेता का नाम और पता	क्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	क्रय का प्रयोजन और यदि प्रयोजन किसी सम्पत्ति के संबंध में व्यवहार करना है तो ऐसी सम्पत्ति के संक्षिप्त ब्यौरे	अनुज्ञप्त विक्रेता के हस्ताक्षर
				धारा 3-क के अधीन	धारा 3-ख के अधीन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(2) राज्य सरकार आदेश द्वारा समस्त स्टाम्प विक्रेताओं से, ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप में और ऐसी तारीख से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, स्टाम्पों के विक्रय का रजिस्टर रखने और संधारित किये जाने की अपेक्षा कर सकेगी।"

4. नियम 58 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 58 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जिला स्तरीय समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च मास या किसी पश्चातवर्ती मास, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये, में भूमि के कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की दरों के पुनरीक्षण के लिए बैठक आयोजित करेगी। यदि जिला स्तरीय समिति 31 मार्च तक या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियत मास के अंतिम दिवस तक भूमि के ऐसे प्रवर्गों की दरों के पुनरीक्षण के लिए बैठक आयोजित नहीं करती है, उस वित्तीय वर्ष के लिए उस जिले में भूमि के ऐसे प्रवर्गों के बाजार मूल्य का

निर्धारण, एक अप्रैल या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियत मास के बाद आने वाले मास के प्रथम दिवस से विद्यमान दरों में दस प्रतिशत की वृद्धि कर के किया जायेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्यमान दर में ऐसी वृद्धि पांच प्रतिशत होगी।"

[प.4(2)वित्त/कर/2023-30]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.142.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(15)वित्त/कर अनु./98-73 दिनांक 14.08.1998 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कृषिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले विद्युत संयोजन के लिए निष्पादित करार पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-31]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.143.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2020-130 दिनांक 20.02.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) की धारा 2 के खण्ड (द) में

यथापरिभाषित संदर्भित दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-32]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.144.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 70 वर्ष या अधिक आयु वाले अथवा 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी रजिस्ट्रीकरण और अन्य विविध फीसों की सारणी के अनुच्छेद- XIII के क्रम संख्यांक 1 के खण्ड (ख) के अधीन संदेय फीस का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-33]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.145.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2018-16 दिनांक 02.08.2022 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, से संबंधित निम्नलिखित लिखतों, यदि ऐसी लिखत 31.03.2024 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) हस्तान्तरण विलेख; या

(ii) आबंटन या विक्रय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा जारी/निष्पादित पट्टा विलेख।

यह अधिसूचना 01.04.2023 से प्रभावी होगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-34]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.146.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017 के अधीन पथ विक्रेताओं से लिए जाने वाले वचनबंध या घोषणा पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-35]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.147.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-274 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

- (i) भाई, बहिन या पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;
- (ii) 60 वर्ष तक की आयु के पिता या माता के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;

- (iii) पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी;
- (iv) 60 वर्ष से अधिक आयु के पिता या माता के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी;
- (v) पुत्र के पक्ष में,-
 (क) 70 वर्ष से अधिक आयु के उसके पिता या माता द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी; और
 (ख) किसी अन्य मामले में उसके पिता या माता द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा; और
- (vi) विधवा के पक्ष में,-
 (क) उसके मृत पति के भाई या बहिन; या
 (ख) उसके स्वयं के भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री,
 द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-36]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.148.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(17)वित्त/कर/2019-34 दिनांक 10.07.2019 और संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-122 दिनांक 08.03.2017 और संख्यांक प.4(17)वित्त/कर/2019-46 दिनांक 01.08.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और निम्नानुसार प्रभारित की जायेगी:

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क	रजिस्ट्रीकरण फीस
1	2	3	4
1.	यदि ऐसी लिखत माता या पिता द्वारा	शून्य	शून्य

	पुत्र या पुत्री के पक्ष में निष्पादित की जाती है		
2.	यदि ऐसी लिखत पुत्र और पुत्री से भिन्न कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित की जाती है	ऐसी लिखत द्वारा व्यवस्थापित की गयी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 1.5 प्रतिशत	शून्य

स्पष्टीकरण: "कुटुम्ब का सदस्य" से व्यवस्थापक का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री और पुत्रवधू अभिप्रेत है।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-37]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.149.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 18 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि यदि 31.12.2022 तक संदेय भूमि कर के बकाया का पचास प्रतिशत दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारिती द्वारा जमा करा दिया जाता है तो भूमि कर के बकाया का शेष पचास प्रतिशत और साथ ही भूमि कर के कुल बकाया पर संदेय सौ प्रतिशत ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-38]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.150.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, नीचे दी गयी सारणी में यथावर्णित

भूमियों के वर्ग और प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी भूमियों पर संदेय कर की दर इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है:-

सारणी

क्र. सं.	भूमियों के वर्ग	भूमि कर की दर
1	2	3
1.	10,000 वर्गमीटर तक की सभी प्रकार की कराधेय भूमियां	शून्य कर
2.	10,000 वर्गमीटर से अधिक कराधेय भूमि का कोई भाग, जिसका उपयोग भूधारक को आबंटन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है और ऐसे निर्बंधन का पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुदान या किसी अन्य हक विलेख में उल्लेख किया गया है	शून्य कर
3.	सीसा-जस्ता युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
4.	तांबा युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
5.	राक फास्फेट युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
6.	सीमेंट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	3 रुपये प्रति वर्ग मीटर
7.	अन्य मुख्य खनिज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
8.	डोलोमाइट, फैलस्फार, फुलर्स अर्थ, जैस्पर, ग्रेनाइट, जिप्सम, चूना पत्थर (सीमेंट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर से भिन्न), संगमरमर या क्वार्टज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	1 रुपया प्रति वर्ग मीटर
9.	अन्य गौण खनिज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	0.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर
10.	10,000 वर्गमीटर से अधिक वाणिज्यिक भूमियां	1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
11.	10,000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक भूमियां	1 रुपया प्रति वर्ग मीटर
12.	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पर्यटन नीति/स्कीम या ग्रामीण पर्यटन नीति/स्कीम में यथापरिभाषित पर्यटन इकाई द्वारा धारित की जा रही 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमियां	1 रुपया प्रति वर्ग मीटर

[प.4(2)वित्त/कर/2023-39]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.151.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि

लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2018-198 दिनांक 12.02.2018 को इसके द्वारा 01.08.2019 से विखंडित करती है परन्तु पहले से संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-40]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.152.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार इसके द्वारा जिलों और उप-जिलों का निम्नानुसार गठन और उनकी सीमाओं का अवधारण करती है, अर्थात्:-

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 15 और 16 के उपबंधों के अधीन गठित राजस्व जिले को, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा जिले के रूप में गठित किया जाता है और ऐसे जिले की सीमाएं समरूपी राजस्व जिले की सीमाओं के समवर्ती होंगी।
2. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 15 और 16 के उपबंधों के अधीन गठित राजस्व तहसील या उप-तहसील को, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा उप-जिले के रूप में गठित किया जाता है और ऐसे उप-जिले की सीमाएं समरूपी राजस्व तहसील या, यथास्थिति, उप-तहसील की सीमाओं के समवर्ती होंगी।
3. उपर्युक्त मद संख्यांक 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्व जिला अलवर की टपूकड़ा तहसील में से निम्नलिखित ग्रामों को पृथक् करने के पश्चात् इनको सम्मिलित करते हुए इसके द्वारा एक पृथक् उप-जिला भिवाड़ी गठित किया जाता है, अर्थात्:-

ग्राम भिवाड़ी, नंगलिया, घटाल, रामपुरा, शाहडोद, हरचंदपुर, सांथलका, खिजपुर, बीलाहेडी, मुंडाना, अमलांकी, कारेंडी, कांरेडा, बहादरी, फलसा, भूडली, गाडपुर, कहरानी, गोधान, बनबन, झीवाना, जोडिया, बंदापुर, हुसेपुर, खेडी, मेहंदीका, उंधनवास, कुलावट, सारेखुर्द, सारेकलां, खरखडी, गंधोला, चौपानकी, पथरेडी, फकरुद्दीनका, खोहरी कलां, खोहरी खुर्द, खातीवास, छापर, लादिया, मयापुर, दांगनहेडी, कर्मपुर, बूरेडा, कारोली, करमसीबास, खुशाखेडा, महेशरा, धामावास,

राबडका, सलारपुर, साहपुर, हुसींगपुर, बनवीरपुर, बीबीपुर, ततारपुर, कालाका, थड़ा, उदयपुर, सींथल, खिजरीवास, मिलकपुरगुर्जर, खानपुर, आलमपुर, सैदपुर और चुहडपुर।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-41]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.153.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उप-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से संबंधित इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर उनके सामने वर्णित रजिस्ट्रीकरण उप-जिलों के लिए, इसके द्वारा उप-रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	जिला का नाम	अधिकारी का पदनाम	उप-जिला का नाम
1	2	3	4
1.	अजमेर	(i) उप-रजिस्ट्रार, अजमेर-प्रथम	अजमेर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, अजमेर-द्वितीय	
		(iii) नायब तहसीलदार, सराधना	
		(iv) नायब तहसीलदार, अरडका	
		(v) उप-रजिस्ट्रार, ब्यावर	ब्यावर
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, किशनगढ़	किशनगढ़
2.	अलवर	(i) उप-रजिस्ट्रार, अलवर-प्रथम	अलवर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, अलवर-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, बहादुरपुर	बहादुरपुर
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, बहरोड	बहरोड
		(v) उप-रजिस्ट्रार, बानसूर	बानसूर
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, किशनगढ़बास	किशनगढ़बास
		(vii) उप-रजिस्ट्रार, नीमराना	नीमराना
		(viii) उप-रजिस्ट्रार, रामगढ़	रामगढ़
		(ix) उप-रजिस्ट्रार, मुण्डावर	मुण्डावर
		(x) उप-रजिस्ट्रार, तिजारा	तिजारा
		(xi) उप-रजिस्ट्रार, कोटकासिम	कोटकासिम

		(xii) उप-रजिस्ट्रार, भिवाड़ी	भिवाड़ी
3.	बांसवाड़ा	(i) उप-रजिस्ट्रार, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	बारां	(i) उप-रजिस्ट्रार, बारां	बारां
5.	बाड़मेर	(i) उप-रजिस्ट्रार, बाड़मेर	बाड़मेर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, जसौल	जसौल
6.	भरतपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, भरतपुर	भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	(i) उप-रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा-प्रथम	भीलवाड़ा
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा-द्वितीय	
8.	बीकानेर	(i) उप-रजिस्ट्रार, बीकानेर-प्रथम	बीकानेर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, बीकानेर-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, बीकानेर-तृतीय	
		(iv) नायब तहसीलदार, देशनोक	
		(v) उप-रजिस्ट्रार, नोखा	नोखा
9.	बून्दी	(i) उप-रजिस्ट्रार, बून्दी	बून्दी
10.	चित्तौड़गढ़	(i) उप-रजिस्ट्रार, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
11.	चूरू	(i) उप-रजिस्ट्रार, चूरू	चूरू
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, सुजानगढ़	सुजानगढ़
12.	दौसा	(i) उप-रजिस्ट्रार, दौसा	दौसा
13.	धौलपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, धौलपुर	धौलपुर
14.	झुंजरपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, झुंजरपुर	झुंजरपुर
15.	हनुमानगढ़	(i) उप-रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, नोहर	नोहर
16.	जयपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-प्रथम	तहसील जयपुर, आमेर, बस्सी, चाकसू, चौमूं, दूदू, जमवारामगढ़, फागी, सांगानेर, मोजमाबाद, जोबनेर, माधोराजपुरा, कालवाड़, उपतहसील - बगरू, मुण्डोता, जालसू, रामपुरा डाबड़ी, गोविन्दगढ़, खेजरोली, साखून, निमेड़ा, बिचून
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-तृतीय	
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-चतुर्थ	
		(v) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम	
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-षष्ठम	
		(vii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-सप्तम	
		(viii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-अष्टम	
		(ix) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-नवम	
		(x) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-दशम	
		(xi) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-एकादश	
		(xii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वादश	
		(xiii) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम	

		(xiv) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-द्वितीय	
		(xv) उप-रजिस्ट्रार, आमेर	
		(xvi) उप-रजिस्ट्रार, बस्सी	
		(xvii) उप-रजिस्ट्रार, चाकसू	
		(xviii) उप-रजिस्ट्रार, चौमूं	
		(xix) उप-रजिस्ट्रार, दूदू	
		(xx) उप-रजिस्ट्रार, जमवारामगढ़	
		(xxi) उप-रजिस्ट्रार, फागी	
		(xxii) तहसीलदार, मोजमाबाद	
		(xxiii) तहसीलदार, जोबनेर	
		(xxiv) उप-रजिस्ट्रार, माधोराजपुरा	
		(xxv) तहसीलदार, कालवाड़	
		(xxvi) नायब तहसीलदार, बगरू	
		(xxvii) नायब तहसीलदार, मुण्डोता	
		(xxviii) नायब तहसीलदार, जालसू	
		(xxix) नायब तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी	
		(xxx) नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़	
		(xxxi) नायब तहसीलदार, खेजरोली	
		(xxxii) नायब तहसीलदार, साखून	
		(xxxiii) नायब तहसीलदार, निमेड़ा	
		(xxxiv) नायब तहसीलदार, बिचून	
		(xxxv) उप-रजिस्ट्रार, कोटपूतली	कोटपूतली
		(xxxvi) उप-रजिस्ट्रार, सांभर	सांभर
		(xxxvii) उप-रजिस्ट्रार, शाहपुरा	शाहपुरा
17.	जैसलमेर	(i) उप-रजिस्ट्रार, जैसलमेर	जैसलमेर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, पोकरण	पोकरण
18.	जालौर	(i) उप-रजिस्ट्रार, जालौर	जालौर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, भीनमाल	भीनमाल
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, सांचौर	सांचौर
19.	झालावाड़	(i) उप-रजिस्ट्रार, झालावाड़	झालावाड़
20.	झुन्झुनू	(i) उप-रजिस्ट्रार, झुन्झुनू	झुन्झुनू
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, नवलगढ़	नवलगढ़
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, सूरजगढ़	सूरजगढ़
21.	जोधपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-प्रथम	जोधपुर, कुडी भगतासनी
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-तृतीय	

		(iv) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-चतुर्थ	
		(v) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-पंचम	
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-षष्ठम	
		(vii) नायब तहसीलदार, डांगियावास	
		(viii) तहसीलदार, कुडी भगतासनी	
		(ix) उप-रजिस्ट्रार, फलौदी	फलौदी
		(x) उप-रजिस्ट्रार, लूणी	लूणी
		(xi) उप-रजिस्ट्रार, तिंवरी	तिंवरी
		(xii) उप-रजिस्ट्रार, झंवर	झंवर
22.	करौली	(i) उप-रजिस्ट्रार, करौली	करौली
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, हिण्डौन	हिण्डौन
23.	कोटा	(i) उप-रजिस्ट्रार, कोटा-प्रथम	लाडपुरा (कोटा)
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, कोटा-द्वितीय	
24.	नागौर	(i) उप-रजिस्ट्रार, नागौर	नागौर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, कुचामन सिटी	कुचामन सिटी
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी
25.	पाली	(i) उप-रजिस्ट्रार, पाली-प्रथम	पाली
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, पाली-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, देसूरी	देसूरी
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, बाली	बाली
		(v) उप-रजिस्ट्रार, रोहट	रोहट
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, सुमेरपुर	सुमेरपुर
		(vii) उप-रजिस्ट्रार, सोजत	सोजत
26.	प्रतापगढ़	(i) उप-रजिस्ट्रार, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
27.	राजसमन्द	(i) उप-रजिस्ट्रार, राजसमन्द	राजसमन्द
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, नाथद्वारा	नाथद्वारा
28.	सवाईमाधोपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
29.	श्रीगंगानगर	(i) उप-रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, अनूपगढ़	अनूपगढ़
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, सूरतगढ़	सूरतगढ़
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर
30.	सीकर	(i) उप-रजिस्ट्रार, सीकर	सीकर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, नीम का थाना	नीम का थाना
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, दांतारामगढ़	दांतारामगढ़
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	(i) उप-रजिस्ट्रार, सिरोही	सिरोही

		(ii) उप-रजिस्ट्रार, आबूरोड	आबूरोड
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, शिवगंज	शिवगंज
32.	टोंक	(i) उप-रजिस्ट्रार, टोंक	टोंक
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, मालपुरा	मालपुरा
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, निवाई	निवाई
33.	उदयपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर-प्रथम	गिर्वा (उदयपुर), बड़गांव
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर-द्वितीय	
		(iii) तहसीलदार, बड़गांव	
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, मावली	मावली

टिप्पण: उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 33 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, शेष उप-जिलों के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के लिए इसके द्वारा उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-42]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.154.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2022 के अधीन स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पच्चीस लाख रुपये तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, उक्त पालिसी के अधीन जारी पात्रता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-43]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.155.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि

लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2022 के अधीन पात्रता प्रमाणपत्र रखने वाले किसी स्टार्ट-अप के लिए कार्य-स्थल की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पचास लाख रुपये तक के बाजार मूल्य वाली स्थावर सम्पत्ति की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का:-

- (i) 18 से 35 वर्ष की आयु के संस्थापक सदस्य या सदस्यों की पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले स्टार्ट-अप के पक्ष में हस्तान्तरण की लिखत के मामले में परिहार किया जायेगा; और
- (ii) 18 से 35 वर्ष की आयु वाले संस्थापक सदस्य या सदस्यों की पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले स्टार्ट-अप के पक्ष में दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पट्टे की लिखत के मामले में परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-44]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.156.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको) के पक्ष में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा 2235 करोड़ रुपये के ऋण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-45]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.157.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक

प.12(15)वित्त/कर/12-100 दिनांक 26.03.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या, यथास्थिति, 234 के अधीन दो या अधिक कंपनियों के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेश से संबंधित हस्तांतरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और तीन प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा,-

- (i) जहां अन्तरक कंपनी, अन्तरिती कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है; और
- (ii) जहां अन्तरक और अन्तरिती दोनों कंपनियों के अंशधारक समान हैं।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-46]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.158.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित "एमनेस्टी स्कीम-2023", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.-** (1) इस स्कीम का नाम **एमनेस्टी स्कीम-2023** है।
- (2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 30.09.2023 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. **लागू होना.-** संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन कोई परादेय मांग या विवादित रकम हैं।

3. **परिभाषाएं.-** (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

- (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);
- (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
- (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
- (iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

- (v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);
- (vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);
- (vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);
- (viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और
- (ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);
- (ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;
- (ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (च) "मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर)" से या तो विभागीय पोर्टल पर या भौतिक प्ररूप में वार्ड स्तर पर किसी निर्धारण से संबंधित परादेय मांग (मांगों) की प्रविष्टियों के प्ररूप में, अन्तर्विष्ट ब्यौरे का रजिस्टर अभिप्रेत है;
- (छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;
- (ज) "अंतर-कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;
- (झ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं;
- (ञ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;
- (ट) "किस्त" से परादेय मांग या विवादित रकम का, भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है;
- (ठ) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है;
- (ड) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है:-

सारणी

क्र.सं.	चरण	अवधि
1.	चरण-I	30.06.2023 तक
2.	चरण-II	01.07.2023 से 31.07.2023
3.	चरण-III	01.08.2023 से 30.09.2023

; और

(ढ) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।
(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	डीसीआर में एकल प्रविष्टि में एक लाख रुपये से अनधिक परादेय मांग।	लागू नहीं	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ कर, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
2.	परादेय मांग, जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित है किन्तु उनको अपवर्जित किया जायेगा जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1 के अधीन आती हैं।	<p>(क) आवेदक ने अन्तरराज्यिक विक्रय के सबूत के लिए वचनबंध के साथ निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत कर दिये हैं:-</p> <p>(i) अन्तरराज्यिक विक्रय के बीजकों की प्रति सहित बीजकों के ब्यौरे; और</p> <p>(ii) उपर्युक्त बीजकों से संबंधित संदाय का सबूत।</p>	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ अंतर-कर, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
		(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में नहीं आने वाले	अंतर-कर की शेष

		<p>मामलों में,-</p> <p>(i) चरण-I: आवेदक ने अंतर-कर का 10 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(ii) चरण-II: आवेदक ने अंतर-कर का 15 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(iii) चरण-III: आवेदक ने अंतर-कर का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p>	<p>रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।</p>
3.	परादेय मांग/विवादित रकम जो, अनन्य रूप से ब्याज से संबंधित है और 25 करोड़ रुपये से अधिक है।	<p>(i) चरण-I: आवेदक ने ब्याज का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(ii) चरण-II: आवेदक ने ब्याज का 35 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(iii) चरण-III: आवेदक ने ब्याज का 40 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p>	<p>इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम।</p>
4.	इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2 और 3 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या विवादित रकम।	<p>(i) चरण-I: आवेदक ने कर की रकम का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(ii) चरण-II: आवेदक ने कर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p> <p>(iii) चरण-III: आवेदक ने कर की रकम का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</p>	<p>कर की शेष रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।</p>

स्पष्टीकरण:

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो नीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई व्यवहारी चरण-1, 2 या, यथास्थिति, 3 की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदों का उपभोग करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरण की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्त्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण के अधीन फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्नानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा:

क्र.सं.	उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की जाने वाली अपेक्षित रकम (रु. में)	किस्तों की अनुज्ञात अधिकतम संख्या
1.	50 लाख तक	4
2.	50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	5
3.	1 करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालावधि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक को उस चरण, जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी दी है, के फायदे प्राप्त करने के लिए उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है दस दिन के भीतर या क्रमिक चरण की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्पूर्ति किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, तब वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से निवारित किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

- (2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त किसी रकम को सम्मिलित करते हुए, जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।
- (3) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।
- (4) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की जाये, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति

से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है, वहां निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

- (5) जहां 30.06.2017 तक की कालावधि से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा करा दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्ग्रहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।
- (6) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना प्राप्त होने पर वह उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटायेगा।
- (7) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (8) जहां विभाग द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम (अधिनियमों) के समान उपबंधों के अधीन अभियोजन वाद फाइल किया गया है और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन अपेक्षित रकम निक्षिप्त करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी न्यायालय से मामला प्रत्याहृत करने के लिए अग्रसर होगा।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

- (i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1)[(क)/(ख)] के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;
- (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
- (iii) किसी वर्ष या किसी अधिनियम से संबंधित कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा यदि वह इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण किसी भी प्रकार संबंधित है।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

- (2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् संसूचना दी जायेगी।
- (3) इस स्कीम के अधीन फायदों का विकल्प देने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे, इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित, इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।
- (4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाइयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।
- (5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 4 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामलों में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. एमनेस्टी स्कीम-2022 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) जहां व्यवहारी ने एमनेस्टी स्कीम-2022 के अधीन किस्तों में संदाय के विकल्प का चयन किया है और कोई किस्त संदत्त की है, ऐसे मामले 2022 की उक्त स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) उपर्युक्त उप-खण्ड (1) के अधीन नहीं आने वाले ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व एमनेस्टी स्कीम-2022 के अधीन कोई टास्क लंबित है, एमनेस्टी स्कीम-2022 की उक्त स्कीम के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के चरण-1 के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संसूचित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2022 के अधीन निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(3) एमनेस्टी स्कीम-2022 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

[प.12(5)वित्त/कर/2023-98]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.159.-राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, डीजल जनरेटिंग सेटों से भिन्न कैप्टिव ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्रों द्वारा जनित ऊर्जा के संबंध में किसी प्रयोजन के लिए

स्वजनित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क इसके द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार नियत करती है:-

क्र. सं.	कैप्टिव ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्र का प्रकार	विद्युत शुल्क दर रुपये प्रति इकाई (किलोवाट प्रति घण्टा)
1.	(i) उसके स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र; और (ii) राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (कनेक्टिविटी एण्ड नेट-मीटरिंग फॉर रूफटॉप एण्ड स्मॉल सोलर ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम्स) रेग्यूलेशन, 2015 के अधीन स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र	0.40
2.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 पर वर्णित संयंत्रों से भिन्न कैप्टिव ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्र	0.60

[प.12(5)वित्त/कर/2023-99]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.160.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 09.03.2015 और सं. एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किसी ऐसी एयरलाइन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, को ऐवियेशन टरबाइन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से उस सीमा तक जिस तक कर की दर 2 प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि क्रेता एयरलाइन संचालक वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति से इलैक्ट्रानिक रूप में मूपक-72 प्ररूप में एक घोषणा प्ररूप जनित करेगा और विक्रय व्यवहारी को इस प्रकार जनित मूपक-72 प्ररूप की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति देगा।

यह 11.02.2023 से प्रवृत्त होगी।

[प.12(5)वित्त/कर/2023-100]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.161.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में 11.02.2023 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 67 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

67.	किसी ऐसी एयरलाइन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	"
-----	--	---

[प.12(5)वित्त/कर/2023-101]

राज्यपाल के आदेश से,

(नम्रता वृष्णि)
 संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.162.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

- (i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, की छूट देती है, यदि ऐसे यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार 30.09.2023 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन नहीं आने वाले यानों पर 31.12.2022 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज की छूट देती है, यदि,-
 - (क) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 30.09.2023 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) 31.12.2022 के पश्चात् संदेय मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर शोधय शास्ति और ब्याज 30.09.2023 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(iii) मोटर यान जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 24.02.2021 से पूर्व अभ्यर्पित कर दिया गया था और मोटर यान स्वामी ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की निर्मुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, पर अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अभ्यर्पण की अनुज्ञात कालावधि से अधिक अभ्यर्पण कालावधि के लिए 30.06.2023 तक संदेय मोटर यान कर, शास्ति और ब्याज की छूट देती है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-

- (i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।
- (ii) यान का स्वामी 30.06.2023 से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की निर्मुक्ति के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा और कराधान अधिकारी 30.06.2023 तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निर्मुक्त करेगा।
- (iii) यदि कोई यान अभ्यर्पण कालावधि के दौरान चलते हुए पाया जाता है, वह इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
- (iv) अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की पूर्व में संदत्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।
- (v) छूट से संबंधित विवादों के मामले में परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.163.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 में तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

1.	इंजन क्षमता वाले परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले दो पहिया वाले यान	
	(क) 100 सीसी तक	यान की लागत का 4 प्रतिशत
	(ख) 100 सीसी से अधिक और 200 सीसी तक	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ग) 200 सीसी से अधिक और 500 सीसी तक	यान की लागत का 13 प्रतिशत
	(घ) 500 सीसी से अधिक	यान की लागत का 15 प्रतिशत

"

(ii) सारणी के विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

3.	इंजन क्षमता वाले 10 तक की बैठक क्षमता के साथ चार पहिया वाले गैर-परिवहन यान	
	(क) 800 सीसी तक	यान की लागत का 6 प्रतिशत
	(ख) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ग) 1200 सीसी से अधिक	यान की लागत का 10 प्रतिशत

"

(iii) सारणी के क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तम्भ 2 की विद्यमान मद (क) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(क) तेरह तक की बैठक क्षमता के साथ	यान की लागत का 10 प्रतिशत
-----------------------------------	---------------------------

"

(iv) परन्तुक के खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 8 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 10 प्रतिशत की दर से" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/2डी]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 10, 2023**

एस.ओ.164.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से दो पहिया गैर-परिवहन यानों और दस तक की बैठक क्षमता वाले चार पहिया गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के अन्तरण के समय पर उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त एकबारीय कर के पचास प्रतिशत की छूट देती है।

यह अधिसूचना 31.03.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/3]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 10, 2023**

एस.ओ.165.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से केवल कम्प्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चालित और अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियों पर संदेय मोटर यान कर से छूट देती है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/4]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग**अधिसूचना****जयपुर, फरवरी 10, 2023**

एस.ओ.166.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा 01.04.2023 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 2 की विद्यमान मद (ख) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(ख) अन्य मार्ग	
(i) प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 207/- प्रति सीट
(ii) प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक और 150 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 225/- प्रति सीट
(iii) प्रतिदिन 150 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 252/- प्रति सीट
(iv) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 250 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 270/- प्रति सीट
(v) प्रतिदिन 250 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 288/- प्रति सीट
(vi) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 468/- प्रति सीट
(vii) प्रतिदिन 350 कि.मी. से अधिक और 400 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 486/- प्रति सीट
(viii) प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 504/- प्रति सीट

"

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

3.	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो	प्रति माह रु. 117/- प्रति सीट
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक हो	प्रति माह रु. 126/- प्रति सीट

"

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/3जी]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.167.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर संदेय एकवारीय कर के पच्चीस प्रतिशत की छूट देती है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन" का वही अर्थ होगा जो भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण हेतु स्कीम-फेम इंडिया के अनुबंध-1 में समनुदेशित है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/5]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.168.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2023 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित पाये गये अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1 /1 दिनांक 24.02.2021 के आधार पर 31.01.2023 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)	31.01.2023 तक कारित अपराध के लिए यान के लिए संदेय शमन रकम
1	2	3
1.	1 लाख तक	अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/ 1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय रकम का 25 प्रतिशत

2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	25,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 लाख से अधिक की रकम का 10 प्रतिशत
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	1,15,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 10 लाख से अधिक की रकम का 8 प्रतिशत
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	2,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 25 लाख से अधिक की रकम का 6 प्रतिशत
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	3,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 50 लाख से अधिक की रकम का 4 प्रतिशत
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	4,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 75 लाख से अधिक की रकम का 2 प्रतिशत
7.	1 करोड़ से अधिक	5,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 करोड़ से अधिक की रकम का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) यान के लिए शमन रकम, यान के बीमा प्रमाणपत्र में दिये गये बीमित मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगी।

(ii) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए शमन रकम 7,500/- रु. से अधिक नहीं होगी।

यह अधिसूचना 30.09.2023 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट1/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

एस.ओ.169.-राजस्थान मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 59) की धारा 211 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि महिला आवेदक द्वारा आटो रिक्शा/टैक्सी कैब/मैक्सी कैब पर राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.87 के अधीन

परमिट के संबंध में संदेय फीस से छूट दी जाती है, यदि ऐसा यान महिला आवेदक के नाम पर रजिस्ट्रीकृत है।

[प.7(3)परि/नियम/मु./2021/2]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

Jaipur, February 10, 2023

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.4(2)FD/Tax/2023-25 to 46, No.F.12(5)FD/Tax/2023-98 to 101 and Transport & Road Safety Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/ 1, 2D, 3, 4, 3G, 5, F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./ 87/part/1/1 and F.7(3)/Pari/Rules/Hqrs/2021/2 dated February 10, 2023.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.136.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(7)FD/Tax/2021-54 dated 30.09.2021 and notification number F.4(2)FD/Tax/2021-273 dated 24.02.2021, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2	3
1.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed on the basis of allotment order in respect of land allotted or sold by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies before getting lease deed from the aforesaid authorities.	On the 20% of the amount of original allotment.
2.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing cooperative societies or any other person, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	On 20% of the market value of the land on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be.
Note: 1. While issuing lease deed, the State Government or authority concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along		

with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments;
2. The lease holder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer;
3. The Sub-Registrar shall not register such lease deed unless the certificate and the copies of the intermediary instruments specified in Note 1 have been presented before him and the stamp duty and surcharge payable on such intermediary instruments have been recovered; and
4. The above rates shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-25]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.137.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that outstanding demand of stamp duty, interest and penalty shall be remitted in the category of cases decided by or pending before the Collector (Stamps), Rajasthan Tax Board or any other Courts as specified in column number 2 to the extent specified in column number 4 and 5, subject to the conditions specified in column number 3 in the table given below:-

Table

S. No.	Category of cases	Conditions	Remission	
			Stamp duty	Interest and Penalty
1	2	3	4	5
1.	Outstanding demand relating to cases registered on or before 01.04.2003	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	60%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023	55%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	50%	100%
2.	Outstanding demand relating to cases registered	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	50%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid	45%	100%

	after 01.04.2003 and on or before 31.03.2013	on or before 30.06.2023 (iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	40%	100%
3.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2013 and on or before 31.03.2018	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023 (ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023 (iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	40% 35% 30%	100% 100% 100%
4.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2018 and on or before 31.03.2022	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023 (ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023 (iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	30% 25% 20%	100% 100% 100%

- Note:** 1. The amount deposited under the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
2. Stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.
3. The benefits under this notification shall be given subject to filing of undertaking before Collector (Stamps) concerned to withdraw the pending cases.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-26]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.138.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(7)FD/Tax/2021-55 dated 30.09.2021, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the assignment deed, by whatever name called, executed by the person who is eligible to get lease deed from local authority under sub-rule (3) of rule 11 or sub-rule (1) of rule 19 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012, for the purpose of assigning or transferring his right in favour of another person to get the lease deed shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	If such deed is executed by any person or the developer in respect of the project covered under the Rajasthan Township Policy, 2002 or Rajasthan Township Policy, 2010	Rupees five hundred on every such deed.
2.	In any other case not covered under serial number 1 above	Two percent of the amount which would be levied by the Urban Local Authority on the lease deed in respect of which assignment deed is executed.

This notification shall be effective from 02.10.2021.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-27]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.139.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-272 dated 24.02.2021, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	8.	The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.	at the rates specified under Article 33 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 on the amount of consideration charged on account of allotment or sale.	"
---	----	--	--	---

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-28]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.140.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-280 dated 24.02.2021, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing clause 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"5. Rates of land for agro-industrial purposes

Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land being used for agro-industrial purposes shall be equal to the rates of agriculture land of that area."

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-29]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.141.-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 3A.- In rule 3A of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, the existing expression "by demand draft or pay order drawn on a branch of any scheduled bank or" shall be deleted.

3. Substitution of rule 34.- The existing rule 34 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"34. Register of sales.- (1) Every vendor shall keep a register of stamps sold to the public in the following form:-

REGISTER OF DAILY SALES OF STAMPS

S. No.	Date of sale	Description of stamp (impressed, adhesive)	Value of Stamps sold (in words)	Amount of surcharge		Name & Address of the purchaser	Signature or thumb impression of the purchaser	Purpose of purchasing and if purpose is to deal with any property then brief details of such property	Signature of the licensed vendor
				Under Section 3-A	Under Section 3-B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(2) The State Government may by order require all the stamp vendors to keep and maintain the register of sales of stamps in such electronic form and from such date as may be specified by it."

4. Amendment of rule 58.- The existing sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(3) For every Financial Year the District Level Committee shall hold the meeting for revision of the rates of agriculture, residential and commercial categories of land in the month of March of the preceding Financial Year or in any subsequent month, as may be fixed by the State Government. If the District Level Committee does not hold the meeting for revision of rates of such categories of land upto 31st March or upto the last day of the month so fixed by the State Government, the market value of such categories of land in that district for that Financial Year, shall be assessed by increasing 10% in the existing rates from the 1st April or from the first day of the month following the month so fixed by the State Government, as the case may be:

Provided that for the financial year 2023-24, such increase in the existing rate shall be five percent."

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-30]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.142.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that, notwithstanding anything contained in this department's notification number F.2(15)FD/Tax Div./98-73 dated 14.08.1998, it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the agreement executed for providing electricity connection for agricultural purposes shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-31]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.143.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2020-130 dated 20.02.2020, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed of immovable property executed in favour of a person with benchmark disability, as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), shall be reduced and charged at the rate of four percent.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-32]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.144.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the fees payable under clause (b) of serial number 1 of ARTICLE-XIII of the Table of registration and other miscellaneous fees, prepared under sub-section (1) of section 78 of the said Act by any person of 70 years or above age or having 80 percent or above disability shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-33]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.145.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2018-16 dated 02.08.2022, the State Government being of

the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty on the following instruments relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of four percent, if such instrument is executed and presented for registration upto 31.03.2024, namely:-

- (i) conveyance deed; or
 - (ii) lease deed issued/executed by the State Government, Local Authorities, Public Enterprises or any other Government Bodies in consequence of allotment or sale.
- This notification shall come into force with effect from 01.04.2023.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-34]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.146.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the undertaking or declaration taken from the street vendors under the Rajasthan Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2017 shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-35]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.147.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-274 dated 24.02.2021, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the gift deeds of immovable property, executed in favour of,-

- (i) brother, sister or husband shall be reduced and charged at the rate of 2.5 percent of the market value of the property;
- (ii) father or mother upto the age of 60 years shall be reduced and charged at the rate of 2.5 percent of the market value of the property;
- (iii) wife, daughter, daughter-in-law, son's son, son's daughter, daughter's son or daughter's daughter shall be exempted;
- (iv) father or mother above the age of 60 years shall be exempted;
- (v) a son by,-
 - (a) his father or mother above the age of 70 years shall be exempted; and
 - (b) his father or mother in any other case shall be reduced and charged at the rate of 2.5 percent of the market value of the property; and
- (vi) a widow by,-
 - (a) her deceased husband's brother or sister; or
 - (b) her own brother, sister, son or daughter, shall be exempted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-36]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.148.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(17)FD/Tax/2019-34 dated 10.07.2019 and number F.4(3)FD/Tax/2017-122 dated 08.03.2017 and number F.4(17)FD/Tax/2019-46 dated 01.08.2019, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty and registration fees chargeable on the instrument of settlement shall be reduced and charged as under:

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty	Registration Fees
1	2	3	4
1.	If such instrument is executed by mother or father in favour of son or daughter	Zero	Zero
2.	If such instrument is executed in favour of family members other than son and daughter	1.5 percent of the market value of the property settled by such instrument	Zero

Explanation: "Family Member" means father, mother, wife, brother, sister, son, daughter, grand son, grand daughter and daughter-in-law of settler.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-37]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.149.-In exercise of the powers conferred by section 18 and 22 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that if the fifty percent of the arrears of land tax payable upto 31.12.2022 is deposited by the assessee upto 30.06.2023 then the remaining fifty percent arrears of land tax as well as 100 percent interest and penalty payable on total arrears of land tax shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-38]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.150.-In exercise of the powers conferred by section 16 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020) and in supersession of this department's notification number F.6(2)FD/Tax/2019-149 dated 30.03.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby specifies the class of lands and rate of tax payable on such lands for each year, as mentioned in table given below:-

Table

S.No.	Class of Lands	Rate of Land Tax
1	2	3
1.	All types of taxable lands upto 10,000 sq. meter	Zero tax
2.	Any part of taxable land above 10,000 sq. meter, use of which has not been allowed by the allotting authority to	Zero tax

	the landholder and such restriction has been mentioned in the lease, licence, grant or any other title deed	
3.	Lead-Zinc bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 7.5 per sq. meter
4.	Copper bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 7.5 per sq. meter
5.	Rock-Phosphate bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 12.5 per sq. meter
6.	Cement and SMS grade limestone bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 3 per sq. meter
7.	Other major mineral bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 1.5 per sq. meter
8.	Dolomite, Felspar, Fullers earth, Jaispar, Granite, Gypsum, limestone (other than cement & SMS grade lime stone), marble or quartz bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 1 per sq. meter
9.	Other minor mineral bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 0.10 per sq. meter
10.	Commercial lands above 10,000 sq. meter	Rs. 1.5 per sq. meter
11.	Industrial lands above 10,000 sq. meter	Rs. 1 per sq. meter
12.	Lands above 10,000 sq. meter being held by a tourism unit as defined in the Tourism Policy/Scheme or Rural Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time	Rs. 1 per sq. meter

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-39]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.151.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2018-198 dated 12.02.2018, with effect from 01.08.2019 but the registration fees already paid shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-40]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.152.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of all previous notifications in this regard, for the purposes of the said Act, the State Government hereby forms districts and sub-districts and determine their limits as under, namely:-

1. The revenue district constituted under the provisions of section 15 and 16 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) is hereby formed as district for the purposes of the Registration Act, 1908 and the limits of such district shall be concurrent to the limits of the corresponding revenue district.
2. The revenue Tehsil or Sub-Tehsil constituted under the provisions of section 15 and 16 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) is hereby formed as sub-district for the purposes of the Registration Act, 1908 and the limits of such sub-district shall be concurrent to the limits of the corresponding revenue Tehsil or Sub-Tehsil, as the case may be.
3. Notwithstanding anything contained in item number 2 above, a separate sub-district Bhiwadi is hereby formed by including the following villages after separating the same from the Tehsil Tapukara of the revenue district Alwar, namely:-

Gram Bhiwadi, Nangaliya, Ghatal, Rampura, Shahdod, Harchandpur, Santhalka, Khijrpur, Bilaheri, Mundana, Amlanki, Karendi, Karenda, Bahadari, Phalsa, Bhurli, Gadpur, Kehrani, Godhan, Banban, Jhiwana, Jodiya, Bandapur, Husepur, Kheri, Mehndika, Undhanwas, Kulawat, Sarekhurd, Sarekalan, Kharkhari, Gandhola, Choupanki, Pathredi, Fakruddinka, Khohri Kalan, Khohri Khurd, Khatiwas, Chapar, Ladiya, Mayapur, Danganhedi, Karpur, Bureda, Karoli, Karamsiwas, Khuskera, Maheshra, Dhabhawas, Rabadka, Salarpur, Sahpur, Husingpur, Banvirpur, Bibipur, Tatarpur, Kalaka, Thada, Udaipur, Sinthal, Khijuriwas, Milakpurgurjar, Khanpur, Alampur, Saidpur and Chuhadpur.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-41]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.153.-In exercise of the powers conferred by section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of all previous notifications of this department regarding appointment of Sub-Registrars, the State Government hereby appoints the following officers on the basis of their designation as Sub-Registrar for registration sub-districts as mentioned against them, namely:-

S.No.	District Name	Designation of the officer	Name of sub-district
1	2	3	4
1.	Ajmer	(i) Sub-Registrar, Ajmer-I	Ajmer
		(ii) Sub-Registrar, Ajmer-II	
		(iii) Naib Tehsildar, Saradhana	
		(iv) Naib Tehsildar, Aradka	
		(v) Sub-Registrar, Beawar	Beawar
		(vi) Sub-Registrar, Kishangarh	Kishangarh
2.	Alwar	(i) Sub-Registrar, Alwar-I	Alwar
		(ii) Sub-Registrar, Alwar-II	
		(iii) Sub-Registrar, Bahadurpur	Bahadurpur
		(iv) Sub-Registrar, Behror	Behror
		(v) Sub-Registrar, Bansur	Bansur
		(vi) Sub-Registrar, Kishangarh Bas	Kishangarh Bas
		(vii) Sub-Registrar, Nimrana	Nimrana
		(viii) Sub-Registrar, Ramgarh	Ramgarh
		(ix) Sub-Registrar, Mundawar	Mundawar
		(x) Sub-Registrar, Tijara	Tijara
		(xi) Sub-Registrar, Kotkasim	Kotkasim
		(xii) Sub-Registrar, Bhiwadi	Bhiwadi
3.	Banswara	(i) Sub-Registrar, Banswara	Banswara
4.	Baran	(i) Sub-Registrar, Baran	Baran
5.	Barmer	(i) Sub-Registrar, Barmer	Barmer
		(ii) Sub-Registrar, Jasol	Jasol
6.	Bharatpur	(i) Sub-Registrar, Bharatpur	Bharatpur
7.	Bhilwara	(i) Sub-Registrar, Bhilwara-I	Bhilwara
		(ii) Sub-Registrar, Bhilwara-II	
8.	Bikaner	(i) Sub-Registrar, Bikaner-I	Bikaner
		(ii) Sub-Registrar, Bikaner-II	
		(iii) Sub-Registrar, Bikaner-III	
		(iv) Naib Tehsildar, Deshnok	
		(v) Sub-Registrar, Nokha	Nokha
9.	Bundi	(i) Sub-Registrar, Bundi	Bundi
10.	Chittorgarh	(i) Sub-Registrar, Chittorgarh	Chittorgarh
		(ii) Sub-Registrar, Nimbahera	Nimbahera
11.	Churu	(i) Sub-Registrar, Churu	Churu
		(ii) Sub-Registrar, Sujangarh	Sujangarh
12.	Dausa	(i) Sub-Registrar, Dausa	Dausa
13.	Dholpur	(i) Sub-Registrar, Dholpur	Dholpur
14.	Dungarpur	(i) Sub-Registrar, Dungarpur	Dungarpur
15.	Hanumangarh	(i) Sub-Registrar, Hanumangarh	Hanumangarh
		(ii) Sub-Registrar, Nohar	Nohar
16.	Jaipur	(i) Sub-Registrar, Jaipur-I	Tehsil Jaipur, Amer, Bassi, Chaksu, Chomu, Dudu, Jamwaragarh, Phagi, Sanganer, Mojamabad, Jobner,
		(ii) Sub-Registrar, Jaipur-II	
		(iii) Sub-Registrar, Jaipur-III	
		(iv) Sub-Registrar, Jaipur-IV	
		(v) Sub-Registrar, Jaipur-V	
		(vi) Sub-Registrar, Jaipur-VI	

		(vii) Sub-Registrar, Jaipur-VII	Madhorajpura, Kalwar, Sub-Tehsil Bagru, Mundota, Jalsu, Rampura Dabri, Govindgarh, Khejroli, Sakhun, Nimera, Bichoon
		(viii) Sub-Registrar, Jaipur-VIII	
		(ix) Sub-Registrar, Jaipur-IX	
		(x) Sub-Registrar, Jaipur-X	
		(xi) Sub-Registrar, Jaipur-XI	
		(xii) Sub-Registrar, Jaipur-XII	
		(xiii) Sub-Registrar, Sanganer-I	
		(xiv) Sub-Registrar, Sanganer-II	
		(xv) Sub-Registrar, Amer	
		(xvi) Sub-Registrar, Bassi	
		(xvii) Sub-Registrar, Chaksu	
		(xviii) Sub-Registrar, Chomu	
		(xix) Sub-Registrar, Dudu	
		(xx) Sub-Registrar, Jamwaramgarh	
		(xxi) Sub-Registrar, Phagi	
		(xxii) Tehsildar, Mojamabad	
		(xxiii) Tehsildar, Jobner	
		(xxiv) Sub-Registrar, Madhorajpura	
		(xxv) Tehsildar, Kalwar	
		(xxvi) Naib Tehsildar, Bagru	
		(xxvii) Naib Tehsildar, Mundota	
		(xxviii) Naib Tehsildar, Jalsu	
		(xxix) Naib Tehsildar, Rampura Dabri	
		(xxx) Naib Tehsildar, Govindgarh	
		(xxxi) Naib Tehsildar, Khejroli	
		(xxxii) Naib Tehsildar, Sakhun	
		(xxxiii) Naib Tehsildar, Nimera	
		(xxxiv) Naib Tehsildar, Bichoon	
		(xxxv) Sub-Registrar, Kotputli	Kotputli
		(xxxvi) Sub-Registrar, Sambhar	Sambhar
		(xxxvii) Sub-Registrar, Shahpura	Shahpura
17.	Jaisalmer	(i) Sub-Registrar, Jaisalmer	Jaisalmer
		(ii) Sub-Registrar, Pokaran	Pokaran
18.	Jalore	(i) Sub-Registrar, Jalore	Jalore
		(ii) Sub-Registrar, Bhinmal	Bhinmal
		(iii) Sub-Registrar, Sanchor	Sanchor
19.	Jhalawar	(i) Sub-Registrar, Jhalawar	Jhalawar
20.	Jhunjhunu	(i) Sub-Registrar, Jhunjhunu	Jhunjhunu
		(ii) Sub-Registrar, Nawalgarh	Nawalgarh
		(iii) Sub-Registrar, Surajgarh	Surajgarh
21.	Jodhpur	(i) Sub-Registrar, Jodhpur-I	Jodhpur, Kudi Bhagtasani
		(ii) Sub-Registrar, Jodhpur-II	
		(iii) Sub-Registrar, Jodhpur-III	
		(iv) Sub-Registrar, Jodhpur-IV	
		(v) Sub-Registrar, Jodhpur-V	
		(vi) Sub-Registrar, Jodhpur-VI	
		(vii) Naib Tehsildar, Dangiyawas	
		(viii) Tehsildar, Kudi Bhagtasani	

		(ix) Sub-Registrar, Phalodi	Phalodi
		(x) Sub-Registrar, Luni	Luni
		(xi) Sub-Registrar, Tinwari	Tinwari
		(xii) Sub-Registrar, Jhanwar	Jhanwar
22.	Karauli	(i) Sub-Registrar, Karauli	Karauli
		(ii) Sub-Registrar, Hindaun	Hindaun
23.	Kota	(i) Sub-Registrar, Kota-I	Ladpura (Kota)
		(ii) Sub-Registrar, Kota-II	
24.	Nagaur	(i) Sub-Registrar, Nagaur	Nagaur
		(ii) Sub-Registrar, Kuchaman City	Kuchaman City
		(iii) Sub-Registrar, Merta City	Merta City
25.	Pali	(i) Sub-Registrar, Pali-I	Pali
		(ii) Sub-Registrar, Pali-II	
		(iii) Sub-Registrar, Desuri	Desuri
		(iv) Sub-Registrar, Bali	Bali
		(v) Sub-Registrar, Rohat	Rohat
		(vi) Sub-Registrar, Sumerpur	Sumerpur
		(vii) Sub-Registrar, Sojat	Sojat
26.	Pratapgarh	(i) Sub-Registrar, Pratapgarh	Pratapgarh
27.	Rajsamand	(i) Sub-Registrar, Rajsamand	Rajsamand
		(ii) Sub-Registrar, Nathdwara	Nathdwara
28.	Sawaimadhopur	(i) Sub-Registrar, Sawaimadhopur	Sawaimadhopur
29.	Sriganganagar	(i) Sub-Registrar, Sriganganagar	Sriganganagar
		(ii) Sub-Registrar, Anoopgarh	Anoopgarh
		(iii) Sub-Registrar, Suratgarh	Suratgarh
		(iv) Sub-Registrar, Srivijaynagar	Srivijaynagar
30.	Sikar	(i) Sub-Registrar, Sikar	Sikar
		(ii) Sub-Registrar, Neem Ka Thana	Neem Ka Thana
		(iii) Sub-Registrar, Dantaramgarh	Dantaramgarh
		(iv) Sub-Registrar, Srimadhopur	Srimadhopur
31.	Sirohi	(i) Sub-Registrar, Sirohi	Sirohi
		(ii) Sub-Registrar, Abu Road	Abu Road
		(iii) Sub-Registrar, Shivganj	Shivganj
32.	Tonk	(i) Sub-Registrar, Tonk	Tonk
		(ii) Sub-Registrar, Malpura	Malpura
		(iii) Sub-Registrar, Niwai	Niwai
33.	Udaipur	(i) Sub-Registrar, Udaipur-I	Girwa (Udaipur), Badgaon
		(ii) Sub-Registrar, Udaipur-II	
		(iii) Tehsildar, Badgaon	
		(iv) Sub-Registrar, Mavali	Mavali

Note:- Except otherwise provided in serial number 1 to 33 above, for remaining sub-districts, Tehsildars and Naib Tehsildars are hereby appointed as Sub-Registrars for their respective area of jurisdiction.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-42]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.154.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of loan upto rupees twenty five lakh executed for the purposes of establishment of Start-up under the Rajasthan Start-up Policy, 2022 shall be remitted on submission of the eligibility certificate issued under the said Policy.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-43]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.155.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments of immovable property having market value upto rupees fifty lakhs executed for the purposes of establishment of work place for a start-up having eligibility certificate under the Rajasthan Start-up Policy, 2022 shall be as under:-

- (i) In case of instrument of conveyance in favour of any start-up having more than fifty percent equity with founder member or members of 18 to 35 years of age shall be remitted; and
- (ii) In case of instrument of lease for a period exceeding ten years in favour of any start-up having more than fifty percent equity with founder member or members of 18 to 35 years of age shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-44]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.156.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of loan agreement to be executed by the Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO) in favour of the Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage & Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) for loan of rupees 2235 crore shall be remitted.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-45]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.157.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(15)FD/Tax/12-100 dated 26.03.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed relating to order of amalgamation, demerger or reconstruction between two or more companies under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013), as the case may be, shall be reduced and charged at the rate of three percent,-

- (i) where the transferor company is 100 percent subsidiary company of the transferee company; and
- (ii) where the shareholders are same in both transferor and transferee company.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-46]
By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)
Joint Secretary to the Government.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.158.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following “Amnesty Scheme-2023”, hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2023.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 30.09.2023.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) “Act” means any of the following Acts:-

- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
- (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
- (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
- (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
- (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
- (vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
- (vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
- (viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
- (ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);

(b) “Applicant” means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;

(c) “Assessing Authority” means any officer or authority appointed under the Act;

(d) “Dealer” means any dealer as defined under the Act;

(e) “Declaration Form” means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

- (f) “Demand and Collection Register (DCR)” means the register containing the details, in the form of entries, of outstanding demand(s) pertaining to any assessment at the ward level either on departmental portal or in physical form;
- (g) “Department” means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;
- (h) “Difference Tax” means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;
- (i) “Disputed Amount” means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, writ petition or special leave petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;
- (j) “Final amount” means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification/reassessment etc., if any;
- (k) “Instalment” means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;
- (l) “Outstanding Demand” means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;
- (m) “Phase” means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S.No.	Phase	Period
1.	Phase-I	Upto 30.06.2023
2.	Phase-II	01.07.2023 to 31.07.2023
3.	Phase-III	01.08.2023 to 30.09.2023

; and

- (n) “Tax” shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfilment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table-A**For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee**

S. No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4

1.	Outstanding demand not more than rupees one lakh in a single entry in the DCR.	Not applicable	Whole amount of tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
2.	Outstanding demand which relates to declaration forms but excluding those covered under serial number 1 of this table.	<p>(a) The applicant has submitted following proof for inter-state sale, alongwith an undertaking:-</p> <p>(i) details of invoices along with copy of invoices of inter-state sale; and</p> <p>(ii) proof of payment regarding above invoices.</p> <p>(b) In cases not covered under clause (a) above,-</p> <p>(i) Phase-I: The applicant has deposited 10% of the difference tax.</p> <p>(ii) Phase-II: The applicant has deposited 15% of the difference tax.</p> <p>(iii) Phase-III: The applicant has deposited 20% of the difference tax.</p>	<p>Whole amount of difference tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.</p> <p>Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.</p>
3.	Outstanding demand/ disputed amount which relates exclusively to interest and is more than rupees twenty five crore.	<p>(i) Phase I: The applicant has deposited 30% of interest.</p> <p>(ii) Phase II: The applicant has deposited 35% of interest.</p> <p>(iii) Phase III: The applicant has deposited 40% of interest.</p>	Remaining amount of interest along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
4.	Outstanding demand or disputed amount not covered under serial number 1, 2 and 3 of this table.	<p>(i) Phase I: The applicant has deposited 20% of the amount of tax.</p> <p>(ii) Phase II: The applicant has deposited 25% of the amount of tax.</p> <p>(iii) Phase III: The applicant has deposited 30% of the amount of tax.</p>	Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-

I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly instalments as under:

S.No.	Amount required to be deposited as per Table-A above (in Rs.)	Maximum number of instalments allowed
1.	Upto 50 lakh	4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	5
3.	More than 1 crore	6

The time period for making the payment in instalments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first instalment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later. Payment of subsequent instalments shall become due after every thirty days of making payment of first instalment. In case, the applicant who has opted for making payment in instalments, fails to pay the required instalments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner, or the officer authorised by him in this regard, may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required instalments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

- (2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.
- (3) Where the outstanding demand or disputed amount comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

- (4) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.
- (5) Where the outstanding demand or disputed amount pertaining to the period upto 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.
- (6) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.
- (7) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.
- (8) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of sub-section (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act(s) and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, the assessing authority shall proceed to withdraw the case from the court.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1)[(a)/(b)] to clause 4 above, as the case may be;
- (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
- (iii) No refund for any year or regarding any Act shall be allowed if it is co-related in any manner due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demand/disputed amount under separate Act as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 4 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2022.- (1) Where a dealer has opted for payment in instalments under Amnesty Scheme-2022 and has paid any instalment, such cases shall be governed by the provisions of the said scheme of 2022.

(2) In all other cases not covered under sub-clause (1) above, in which any task is pending under Amnesty Scheme-2022 prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under the said scheme of 2022 shall be deemed to have been submitted under Phase-I of this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per Table-A of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2022 shall be adjusted against the amount required to be paid as per Table-A of this scheme.

(3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2022 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[No.F.12(5)FD/Tax/2023-98]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.159.-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962) and in supersession of this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-219 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby fixes the rate of electricity duty, with immediate effect, payable on consumption of self generated energy for any purpose in respect of energy generated by captive power generating plants other than by the Diesel Generating Sets as given below:-

S. No.	Type of captive power generating plant	Rate of electricity duty Rupees per unit (KWH)
--------	--	---

1.	(i) Solar power plant set up for his own use; and (ii) Solar power plant set up under the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Net Metering for Rooftop and Small Solar Grid Interactive Systems) Regulations, 2015	0.40
2.	Captive power generating plant other than plants mentioned at serial number 1 above	0.60

[No.F.12(5)FD/Tax/2023-99]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.160.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this Department's notification No.F.12(23)FD/Tax/2015-196 dated 09.03.2015 and No.F.12(23)FD/Tax/2015-197 dated 09.03.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, from tax payable on the sale of Aviation Turbine Fuel (ATF) by a registered dealer to any airline which operates commercial flights in and/or from the State of Rajasthan, to the extent the rate of tax exceeds 2%, on the condition that the purchasing airline operator shall generate a declaration form in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.

This shall have effect from 11.02.2023

[No.F.12(5)FD/Tax/2023-100]

By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

S.O.161.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of

the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule II appended to the said Act, with effect from 11.02.2023, namely:-

AMENDMENT

In Schedule II appended to the said Act, the existing serial number 67 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	67.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to any airline which operates commercial flights in and/or from the state of Rajasthan.	"
---	-----	--	---

[No.F.12(5)FD/Tax/2023-101]

By order of the Governor,

(**Namrata Vrishni**)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.162.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

- (i) exempts the Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles, if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which such vehicle was destroyed is deposited on or before 30.09.2023;
- (ii) exempts the penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.12.2022 on vehicles not covered under clause (i) above, if,-
 - (a) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 30.09.2023; and
 - (b) penalty and interest, due on Motor Vehicle Tax, One Time Tax and Surcharge payable after 31.12.2022 is deposited on or before 30.09.2023; and
- (iii) exempts the Motor Vehicle Tax, Penalty and Interest payable upto 30.06.2023, for the period of surrender in excess of period allowed for surrender under clause (ii) of proviso first to sub-section (2) of section 4 of the Act, on the Motor Vehicle of which Registration Certificate was surrendered prior to 24.02.2021 and Motor Vehicle owner has not applied for release of Registration Certificate.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

- (i) The vehicle owner shall apply before the Taxation Officer for the exemption.
- (ii) The vehicle owner shall apply before the Taxation Officer for release of Registration Certificate before 30.06.2023 and the Taxation Officer shall release the Registration Certificate upto 30.06.2023.

- (iii) If any vehicle found plying during surrender period it shall not be eligible to avail exemption under this notification.
- (iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.
- (v) In case of disputes regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/1]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.163.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/2 Dated 10.07.2019, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) the existing serial number 1 and entries thereto of the table shall be substituted by the following, namely:-

“ 1.	Two Wheeled Vehicles used as transport or non-transport vehicle having engine capacity	
	(a) upto 100 cc	4% of the cost of the vehicle.
	(b) more than 100 cc and upto 200 cc	8% of the cost of the vehicle.
	(c) more than 200 cc and upto 500 cc	13% of the cost of the vehicle.
	(d) more than 500 cc	15% of the cost of the vehicle.

- (ii) the existing serial number 3 and entries thereto of the table shall be substituted by the following, namely:-

“ 3.	Four Wheeled Non-Transport Vehicle with seating capacity upto 10 having engine capacity	
	(a) upto 800 cc	6% of the cost of the vehicle.
	(b) more than 800 cc and upto 1200 cc	9% of the cost of the vehicle.
	(c) more than 1200 cc	10% of the cost of the vehicle.

- (iii) against serial number 4 of the table, the existing item (a) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

“ (a) with seating capacity upto 13 10% of the cost of the vehicle. ”

- (iv) in clause (iv) of the proviso, for the existing expression “at the rate of 5% per financial year or part thereof upto 15 years from the date of registration.”, the expression “at the rate of 10% per financial year or part thereof upto 8 years from the date of registration.” shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/2D]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.164.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, exempts fifty percent of the additional One Time Tax payable under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the said Act at the time of transfer of ownership of two wheeled non-transport vehicles and four wheeled non-transport vehicles having seating capacity upto ten.

This notification shall remain in force upto 31.03.2024.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/3]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.165.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, exempts the Motor Vehicle Tax payable on Stage Carriage

Vehicles solely driven by Compressed Natural Gas (CNG) and exclusively plying within Municipality/Urban Improvement Trust limits.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/4]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2023

S.O.166.-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 dated 10.07.2019, as amended from time to time, with effect from 01.04.2023, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

- (i) against serial number 2, the existing item (b) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

"	(b) Other routes	
	(i) plying upto 100 km. per day	Rs. 207/- per seat per month
	(ii) plying above 100 km. and upto 150 km. per day	Rs. 225/- per seat per month
	(iii) plying above 150 km. and upto 200 km. per day	Rs. 252/- per seat per month
	(iv) plying above 200 km. and upto 250 km. per day	Rs. 270/- per seat per month
	(v) plying above 250 km. and upto 300 km. per day	Rs. 288/- per seat per month
	(vi) plying above 300 km. and upto 350 km. per day	Rs. 468/- per seat per month
	(vii) plying above 350 km. and upto 400 km. per day	Rs. 486/- per seat per month
	(viii) plying above 400 km. per day	Rs. 504/- per seat per month
"		

- (ii) the existing serial number 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	3. Stage Carriage plying on rural routes	
	(a) distance required to be covered by the service in a day upto 200 km.	Rs. 117/- per seat per month

	(b) distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 km.	Rs. 126/- per seat per month	"
--	---	------------------------------	---

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/3G]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, February 10, 2023**

S.O.167.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, exempts twenty five percent of the One Time Tax payable on Strong Hybrid Electric Vehicles.

Explanation: For the purpose of this notification "Strong Hybrid Electric Vehicle" shall have the same meaning as assigned to it in Annexure-1 of the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India-FAME India.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2023-24/5]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, February 10, 2023**

S.O.168.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.01.2023 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of the Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, namely:-

Table

S. No.	Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.01.2023 on the basis of this	Compounding amount payable for a vehicle for offence committed upto 31.01.2023
--------	---	--

	department's notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/ 1/1 dated 24.02.2021 (in Rs.)	
1	2	3
1.	Upto 1 lakh	25% of the amount payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./ 87/part/1/1 dated 24.02.2021
2.	Above 1 lakh and upto 10 lakh	Rs. 25,000/- + 10% of the amount above 1 lakh payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
3.	Above 10 lakh and upto 25 lakh	Rs. 1,15,000/- + 8% of the amount above 10 lakh payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
4.	Above 25 lakh and upto 50 lakh	Rs. 2,35,000/- + 6% of the amount above 25 lakh payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
5.	Above 50 lakh and upto 75 lakh	Rs. 3,85,000/- + 4% of the amount above 50 lakh payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
6.	Above 75 lakh and upto 1 crore	Rs. 4,85,000/- + 2% of the amount above 75 lakh payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021
7.	More than 1 crore	Rs. 5,35,000/- + 1% of the amount above 1 crore payable under notification number F.7(47)/pari/Rules/H.Q./87/part/1/1 dated 24.02.2021

Provided that,-

- the compounding amount for a vehicle shall not be more than half of the insured value given in the Insurance Certificate of the vehicle.
- the compounding amount for Agriculture Tractor-Trolley shall not be more than Rs.7,500/-.

This notification shall remain effective upto 30.09.2023.

[No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, February 10, 2023**

S.O.169.-In exercise of the powers conferred by proviso to section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No.59 of 1988), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the fee payable in respect of permit under rule 5.87 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 by a woman applicant on Auto Rickshaw/Taxi Cab/Maxi Cab shall be exempted if such vehicle is registered in the name of applicant woman.

[No.F.7(3)/Pari/Rules/Hqrs/2021/2]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur